राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–83 / 2021

दायर दिनांक:–18.08.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. नन्दा पुत्र जोधा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रुपनगढ, तहसील रुपनगढ जिला अजमेर।

.........प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र जोधा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रुपनगढ, तहसील रुपनगढ जिला अजमेर।
2. पंजियन विभाग जरिये उपपंजियक रुपपगढ, तहसील रुपनगढ, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रुपनगढ, जिला अजमेर।

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक–14.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रुपनगढ में स्थित है जिसकी जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 230 पुराना 138 के खसरा संख्या 467 क्षेत्रफल 1.1002 है0 खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.0323 है0 खसरा संख्या 481 क्षेत्रफल 0.0323 है0 एवं खसरा संख्या 482 क्षेत्रफल 3.9074 है0 भूमि है जिसमें से केवल खसरा नम्बर 467, 481 एवं 482 के बंटवारे हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका आज दिन तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में से स्वयं के हिस्से के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 को बंटवारा किये जाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने आज तक उक्त वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं किया है इसलिए प्रार्थी को आये दिन स्वयं के हिस्से के संबंध में फसल बौने, काटने एवं उपयोग उपभोग में भूमि रिकॉर्ड में अविभाजित होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी के बंटवारे एवं घोषणा हेतु मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी के स्वयं के हिस्से के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भूमि का बंटवारा करवाये जाने का अधिकारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है जिनकी जाति कुमावत है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से कुमावत के बजाय कुम्हार अंकित हो गई है जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवाकर कुम्हार के स्थान पर सही जाति कुमावत करवाने की घोषणा हेतु वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक–15.08.2021 को प्रार्थी स्वयं के हिस्से पर ट्रेक्टर से भूमि को समतल करवा रहा था, उसी समय अप्रार्थी संख्या 1 तथा उनके परिवार वाले मौके पर आये तथा प्रार्थी को स्वयं की उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात् दिनांक–17.08.2021 को उक्त वर्णित समस्त व्यक्ति प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर आये तथा प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से जबरन दादागिरी से बेदखल करने, जान से मारने तथा वादग्रस्त भूमि को भू–माफिया, लठ्ठेत व्यक्तियों आदि को जबरन बेचान, रहन, दान, [illegible] आदि करने की धमकी दी तथा प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने से बिल्कुल मना कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व उनके परिवार के सदस्यों ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये बिना भूमि के विशिष्ट भू–भाग [illegible] नींव खोदकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा बिना न्यायिक विभाजन के भूमि के [illegible] करने की धमकी दी है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने हेतु एवं बंटवारा [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी संयुक्त सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका में केवल मौखिक बंटवारा हो रखा है जिसका आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करवाये जाने हेतु तथा प्रार्थी का खाता अलग किया जाकर तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में उसी अनुसार तरमीम की जाकर प्रार्थी को स्वयं के हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारे के अनुसार खातेदार घोषित करवाये जाने हेतु वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कया गया है। प्रकरण पुर्णतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर खसरा संख्या 467 क्षेत्रफल 1.1002 है0 खसरा संख्या 479 क्षेत्रफल 0.0323 है0 खसरा सख्या 481 क्षेत्रफल 0.0323 है0 एवं खसरा संख्या 482 क्षेत्रफल 3.9074 है0 भूमि में प्रार्थी के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित कोई भी दस्तावेज उनके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन आदि नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित कोई भी दस्तावेज उनके समक्ष नामान्तरकरण तस्दीक एवं राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से परिवर्तन आदि किये जाने हेतु प्रस्तुत होने पर उसका नामान्तरकरण एवं राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से परिर्वतन आदि नहीं करें।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested